

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
नगर विकास प्रमंडल अजीमाबाद
बुडको, पटना।

अल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना-

निविदा संख्या :- Buidco/Sl-A. 1-1100/2020-35 दिनांक :- 22/11/2021

अल्पकालिन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना (ई-टेंडरिंग द्वारा www.eproc.bihar.gov.in)

- विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल अजीमाबाद, बुडको, पटना।
- निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक-22.11.2021
- निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक-30.11.2021 से 06.12.2021 को 15:00 बजे तक
(On website www.eproc.bihar.gov.in)
- प्री बीड मीटिंग का समय स्थान/तिथि : दिनांक-03.12.2021 को 12:00 बजे बुडको कार्यालय कक्ष।
- संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय : दिनांक-07.12.2021 के 17:00 बजे तक
(On website www.eproc.bihar.gov.in)
- तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय : दिनांक-08.12.2021 के 17:00 बजे के बाद
(On website www.eproc.bihar.gov.in)
- वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय : बाद में सूचित किया जायेगा।
(On website www.eproc.bihar.gov.in)
- अग्रधन, सभी मूल शपथ पत्र, Existing Commitment (मूल में) परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान : दिनांक-08.12.2021 के 15:00 बजे तक
स्थान- अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, अजीमाबाद अंचल क्षेत्र, बुडको वेस्ट बोरिंग केनाल रोड, राजापुल, पटना-800001, बिहार, पटना का कार्यालय।
- कार्य का विवरण:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	Bid Processing Fee (Through online payment) (अप्रत्यर्पणीय) (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
राज्य योजनान्तर्गत।						
1.	Complete of RCC retaining wall along with RCC platform for placing additional pumps at Khanpur TDPS under Buidco, Azimabad Anchal, Patna	10,47,972.00	21,000.00	10,000.00	1,180.00	02 माह
2.	Construction of Boundary wall at Pahari DPS for protection of DG set and safty point of view under Buidco, Azimabad Anchal, Patna	4,00,420.00	8,100.00	10,000.00	1,180.00	02 माह
3.	Construction of Anti Flood Sluice Gate Near Premkunj Temporary DPS under Buidco, Azimabad Anchal, Patna	5,79,800.00	11,600.00	10,000.00	1,180.00	01 माह

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in देखा जा सकता है।



10. निविदा की वैधता अवधि : 90 दिन ।
11. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:-
- "Bid Processing Fee" is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment gateway (Credit/debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS.
 - (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of internet connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व बुडको में निबंधन कराना अनिवार्य होगा ।
13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in देखा जा सकता है ।
14. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई-टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी । यह उन्हें (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ ई-टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा । इसके लिए हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं0-25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800020, दूरभाष संख्या-0612- 2523006, मो0 संख्या-7542028164 से सम्पर्क किया जा सकता है ।
15. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है । इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।
16. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे । यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी ।
- (2) निविदा सूचना की अन्य शर्तों को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि:-
- (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किये गये हैं ।
- (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो । अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो । तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।
- (3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
17. **परिमाण विपत्र का मूल्य**
- उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), पटना के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक पटना में भुगतये हो, स्वीकार किया जायेगा, जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए तथा निविदा करने के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यालय में परिमाण विपत्र का मूल्य जमा किया जाना चाहिए ।
- (1) **अग्रधन**
- (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी । जो न्यूनतम 100 के गुणक में होगी ।
- (ख) अग्रधन की राशि जो कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल अजीमाबाद, बुडको, पटना के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो (मूल में) एवं निविदा आमंत्रण तिथि के बाद प्रतिज्ञिप्त को जमा करना अनिवार्य होगा । अग्रधन के रूप में निम्न प्रकार के मौद्रिक साधन (Monetary Instrument) अनुमान्य होंगे:-
- i. किसी भी अनुसूचित बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा रसीद (सावधि जमा रसीद की वैधता अवधि निविदा प्राप्त की तिथि से छः महीने अधिक तक की अवधि के लिए वैध होनी चाहिये तथा निविदा निकालने वाले पदाधिकारी को प्रतिज्ञिप्त होना चाहिये) ।

- ii. किसान विकास पत्र।
- iii. किसी अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो संबंधित पदाधिकारी के पक्ष में उस जिले में भुगतये हो।
- iv. डाकघर का बचत खाता।
- v. 1/2/3 वर्षीय डाकघर की सावधि जमा।
- vi. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जो बिहार राज्य के अन्तर्गत निर्गत हो।
- vii. पाँच वर्षीय डेवलपमेंट बॉण्ड।
- viii. स्टेट डेवलपमेंट लोन सर्टिफिकेट।

ix. एक करोड़ से अधिक राशि के कार्य हेतु अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक का, बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(क) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एंव अर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) G.S.T निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(3) संवेदक के अधीन लंबित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यों की राशि सहित सूची अपलोड करना है।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/शपथ पत्र (मूल में) (अपलोड)

‘मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम).....सुपुत्र/सुपुत्री
/पत्नी श्रीशपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी कार्य को विखंडित (Resceind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(ङ) संवेदक के पास (i) मिक्सर मशीन, (ii) नोजल भाईट्रेटर, (iii) शटरिंग प्लेट, (iv) वाटर टैंकर, (v) गुण-नियंत्रण उपकरण तथा सड़क एवं नाला निर्माण हेतु उपरोक्त क्रमांक (i) से (v) के साथ-साथ एलीभेटर एवं स्टेजिंग पाईप का भी होना आवश्यक है, जो स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने कि स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं प्रमाण के रूप में उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र-संयंत्र की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जाएगा।

(च) उपर्युक्त कांडिका-‘क’ ‘ख’ ‘ग’ एवं ‘घ’ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए बुडको स्वतंत्र होगा। चूँकि संवेदको का निबंधन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत काली सूची दिवार (Debar) ताथ निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा भी की जाएगी। यदि यह शर्त संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

(छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये हैं तथा वे अब तक अनियोजित हैं से संबंधित शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरुद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जायेगी।

(ज) यह स्पष्ट है कि नावदा के समा कागजात Website (www.eproc.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा, जो स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(5) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्द में अंकित दरों में विसंगति होने पर शब्द में अंकित दर की मान्यता दी जायेगी।

(ख) पथ निर्माण विभाग (बिहार सरकार) कि अधिसूचना संख्या -449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender), पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदा दर की न्यूनतम अधीसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए (Additional Performance Guarantee) का प्रावधान किया गया है।

(ग) निविदा दर असाधारण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धृत करने की स्थिति में प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०-6/द०वि० नियम-03-08/06 (अंश)-449 (S) पटना, दिनांक-16.01.2020 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

18. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

19. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

20. संवेदक के विपत्र से 1 (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी,एस,टी, की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी एवं अन्य करों की कटौति विपत्र से की जायेगी।

21. विभागीय पत्रांक 719 दिनांक 15.10.2019क आलोक में फार्म 'एम' एवं 'एन' के सत्यापन पद्धति को समाप्त करते हुए मालिकाना फीस Seigniorage Fee की कटौति प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 प्रतिशत फ्लैट दर पर कार्य विभागों द्वारा अपने आपूर्तिकर्ता/कार्य ठीकेदारों के विपत्र से काटी जाएगी।

22. निविदा निष्पादन

1. यदि निविदा की कंडिका संख्या-17 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

2. सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

3. निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर सामान्य होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दरवार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

23. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 07 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका-23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार-प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

24. (क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।


(ख) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है, फलस्वरूप परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है।

25. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदकों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार (Defect Liability Period) की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी विपत्र से कटौती की गई (5%) जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी। एकरारनामा के समय जमा प्रतिभूति की राशि (5%) कार्य समाप्ति के छः माह के बाद कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही विमुक्त की जाएगी।

26. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

27. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तों की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल अजीमाबाद, बुडको, पटना के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
28. Materials to be used such as DI pipe class K-9 and specials should be ISI marked and confirming to IS:8329 Each consignment of pipe shall be inspected and tested and embossed by any agencies/authority of DGS& D/ SGS who shall be given sufficient prior information by authorised inspectors.
29. The contractor after maintain permission from Executive Engineer will buy the materials in BUIDCo/UDHD premises for physical verification by the departmental Officers. The contractor will use the material only after such verification found satisfactory. The sample physically verified must be kept in safe custody for further inspection by higher authority of the department. The materials should be used in last stage of the completion of the work. No extra cost for stacking, carriage or storage will be paid to contractor. The contractor shall be responsible for the safe keeping of the materials store.
30. In case of any doubt about the quality of any or all the materials in part or full, The Executive Engineer reserves the right to get such materials tested separately in some recognized laboratory at the cost of contractor. For this purpose, sample will be taken by the Engineer-in-charge in presence of the contractor or his authorised representatives and shall be signed jointly. Till the time the test results are obtained such materials shall be kept separately in the store & not to be used in work. In case the test report is found unsatisfactory, the contractor shall have to remove the replace such material at his own risk and cost and shall be responsible for the delay in work on this account for which no extention of time will be allowed. The materials related in work must be used after 100%. 3rd party inspection at manufacturer end by inspecting agency above and must ensure that the same materials be transported to the departmental store for consignee end inspection.
- The materials brought to the site in each time must be checked 100% at consignee end. Details of supplied materials along with copy of third party inspection report, Chalan and test check report of consignee end, The Higher Authority may make random inspection of the materials.
- It will be the responsibility of the agency to carry out construction work with the same materials that has been inspected at manufacturer end and consignee end.
31. **Accommodation:-**The contractors will have to provide at their own cost proper huts & drinking water, toilet and other admissible facilities admissible to labour force employed by the contractor as per labour acts/laws.
32. **Address:-**The tenderers shall have to furnish his furnish permanent and local address with contact no. and email ID in the tender paper. The contractor is required to sign each page of the tender documents before submission of tender failing which is tender is liable to be rejected.
33. **Insurance:-**The contractor will have to ensure the labours to be employed for the execution of the work at his own cost if any accident occurs at the site of work during the execution of work the contractor will have to pay compensation for the damage as admissible under relevant act/law.
34. **Extra work:-** The contractor shall not carry out any extra work without written order of the competent authority. The contractor will have to maintain a site order book duly page marked and signed by the E/I. in which necessary instruction regarding execution of work will be given to the contractor by E/I. or his authorised representative or any inspecting officier of the department. The site order book will be a property of the department and it has to be kept by the contractor or his authorised representative with proper care and responsibility to keep it safe at the site. It will be returned back to the department through the concerned J.E. and proper channel after the completion of the work as per the agreement.
35. **Wages:-** The contractor will have to ensure for the payment to the labours engaged in the execution of the work and it should be strictly in confirmation to the minimum wages act approved by the govt.
36. **Site Clearance:-** The contractor will keep the site neat and clean even during the execution of the work. After the completion of work the contractor will remove all debris etc. and hand over neat and clean site to the department.
37. **Misconduct:-** If any of the contractors agent, sub agent, consultant or employee is found guilty of misconduct or incompetent for the contact by the E/I. such person shall have to be removed from site of work.
38. **Inspection and Testing:-** The contractor will have to provide all facilities, instrument, materials and labours for testing/inspecting/measuring the work and shall afford the site engineer all assistance necessary to conduct the test/inspection for which no extra payment will be made.

39. In the unlikely event of the server for www.eproc.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.
40. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.
41. The bidders must use MS Office- 2003 version. File size should be less than 5MB and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.
42. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.
43. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD/BUIDCo. may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.
44. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.
45. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (www.eproc.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.
46. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.
47. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्य हेतु—
 (a) पथ निर्माण विभाग के प्र०-6/नियम-03-03/2001-1399(s) दिनांक-31.01.2008 द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 (b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।
 (c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।


 19.11.2021
 कार्यपालक अभियंता
 नगर विकास प्रमंडल अजीमाबाद
 बुडको, पटना।